"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च 2018—चैत्र 2, शक 1940

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2017

क्रमांक ई-1-21/2017/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा 2009 बैच के निम्नांकित अधिकारियों को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1)(2) के परन्तुक के अंतर्गत आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम में अंकित तिथि से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600) (पुनरीक्षित—Pay Matrix Level-12) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स.क्र.	अधिकारी का नाम एवं आबंटन वर्ष	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान की देय तिथि	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डॉ. प्रियंका शुक्ला (2009)	01-01-2018	कलेक्टर, जिला जशपुर	कलेक्टर, जिला जशपुर

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	सुश्री किरण कौशल (2009)	01-01-2018	कलेक्टर, सरगुजा	कलेक्टर, सरगुजा
3.	श्री समीर विश्नोई (2009)	01-01-2018	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़.
4.	डॉ. तम्बोली अय्याज फकीरभाई (2009).	01-01-2018	कलेक्टर, बीजापुर	कलेक्टर, जिला बीजापुर
5.	श्री अवनीश कुमार शरण (2009).	01-01-2018	कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज	कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज
6.	श्री सौरभ कुमार (2009)	01-01-2018	कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा	कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा
7.	श्री सुनील कुमार जैन (2009)	01-01-2018	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर
8.	श्री कुमार लाल चौहान (2009)	01-01-2018	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई.
9.	श्री बिपिन मांझी (2009)	01-01-2018	सचिव, लोक आयोग	सचिव, लोक आयोग
10.	श्री डोमन सिंह (2008)	01-01-2018	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.
11.	श्री के. डी. कुंजाम (2009)	01-01-2018	अपर कलेक्टर, बिलासपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सीपत का अति. प्रभार.	अपर कलेक्टर, बिलासपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीपत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सीपत का अति. प्रभार.
12.	श्री अनुराग पाण्डेय (2009)	01-01-2018	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा

2. सरल क्रमांक 3, 7 तथा 9 पर दर्शित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत उनके नाम के सम्मुख दर्शाए नवीन पदस्थापना के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. श्री समीर विश्नोई भा.प्र.से. मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III में शामिल हुए हैं. शेष भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III में कार्यक्रम में अनिवार्यत: भाग लेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 397/3782/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Rakesh Singh Sori S/o Shri Duishyant Singh Sori (Category-Schedule Tribe Merit No. 35) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 399/3650/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku, Ankita Kaushik D/o Shri Dwarka Prasad Kaushik (Category-Unreserved (F-E) Merit No. 15) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 401/3803/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku, Satpreet Kour Chhabra D/o Shri Surendera Singh Chhabra (Category-Unreserved (F) Merit No. 04) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 403/3886/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Smt. Soni Tiwari W/o Shri Vinay Kumar Tiwari (Category-Unreserved (PH) Merit No. 40) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 405/3673/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku, Priya Rajak D/o Shri Chaman Lal Rajak (Category-Unreserved (F-E) Merit No. 16) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 407/2805/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku, Payal Topno D/o Shri Alexander Topno (Category-Scheduled Tribe (F) Merit No. 29) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 409/3811/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Abhinav Dahariya S/o Shri A. L. Dahariya (Category-Scheduled Caste Merit No. 22) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 411/3753/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Damodar Prasad Chandra S/o Shri Ramadhin Chandra (Category-Other Backward Classes Merit No. 28) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 413/3786/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Narendra Kumar Tendulkar S/o Shri Santosh Das Tendulkar (Category-Scheduled Caste Merit No. 31) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 415/3860/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Ravi Kumar Kshyap S/o Shri Ramratan Kashayp (Category-Scheduled Tribe Merit No. 26) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 417/3784/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Ravi Kumar Mahobia S/o Shri Shiv Kumar Mahobia (Category-Other Backward Classes Merit No. 18) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 419/3708/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Prerna Ahire D/o Shri Melaram Ahire (Category-Scheduled Caste (F) Merit No. 25) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 421/3752/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Girivar Singh Rajput S/o Arjun (Category Ohter Backward Classes Merit No. 17) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 423/3861/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Akansha Beck D/o Ranveer Beck (Category-Schedule Tribe (F) Merit No. 27) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 425/3853/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Gayatri Bai D/o Shri Sarwan Sai (Category-Scheduled Tribe (F) Merit No. 20) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 427/3706/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Akanksha Thakur D/o Shri Arjun Ram Dhruw (Category Scheduled Tribe (F) Merit No. 23) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 429/3860/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Avinash Kumar Dubey S/o Awadesh Dubey (Category-Unreserved Merit No. 08) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 433/3785/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Preeti D/o Shri R. P. Nagwanshi (Category-Scheduled Tribe (F-E) Merit No. 34) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during her selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

Naya Raipur the 12th January 2018

No. 435/3804/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Dwijendra Nath Thakur S/o Shri Avanindra Nath Thakur (Category Unreserved Merit No. 07) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 under clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished by the appoitee during his selection process by Public Service Commission as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab initio in case any information so furnished by the appointee is subswequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event no right shall be created, in favour of the appointee, on the basis of this order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAVISHANKAR SHARMA, Principal Secretary.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 10-2/2018/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना" होगा.
2. यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकृत हितग्राहियों के लिये होगी.
3. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत नाई को कैंची, स्ट्रेट रेजर, कंघी, हेयर कटिंग केप, वाटर स्प्रे बॉटल एवं शेविंग ब्रश सहित नाई किट प्रदान किया जावेगा.
4. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. प्रदेश के किसी भी जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में पंजीकृत नाई को योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा.
2. यदि हितग्राही राज्य शासन के किसी अन्य समानांतरण योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.
3. 18-60 वर्ष की आयु वाले हितग्राहियों योजनांतर्गत पात्र होंगे.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—** हितग्राहियों को किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—** योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित न्यायाधीश को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बालोद	बालोद	श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे, जेएमएफसी, डोण्डी लोहारा
2.	दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा.	दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा.	श्री जनक कुमार हिडको, जेएमएफसी, दंतेवाड़ा
3.	दुर्ग	दुर्ग	श्रीमती अर्चना भास्कर, जेएमएफसी, दुर्ग
4.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	श्री अमित जिंदल, जेएमएफसी, जांजगीर
5.	जशपुर	जशपुर	श्री डमरूधर चौहान, जेएमएफसी, कुनकुरी
6.	कोरबा	कोरबा	श्रीमती सीमा चंद्राकर, जेएमएफसी, कोरबा
7.	अंबिकापुर	अंबिकापुर	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह डांगी, जेएमएफसी, अंबिकापुर
8.	जगदलपुर	जगदलपुर	श्री अभिषेक शर्मा, जेएमएफसी, जगदलपुर

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 the State Government hereby Recornstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chairman (Principal Magistrate), mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the state level selection commettee as members for the area mentioned in the column No. 3.

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Balod	Balod	Smt. Sarojani Janardan Khare, JMFC, Dondilohara

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Dantewada, Bijapur and Sukma.	Dantewada, Bijapur and Sukma.	Shri Janak Kumar Hidko, JMFC, Dantewada
3.	Durg	Durg	Smt. Archana Bhaskar, JMFC, Durg
4.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Shri Amit Jindal, JMFC, Janjgir
5.	Jashpur	Jashpur	Shri Damrudhar Chouhan, JMFC, Kunkuri
6.	Korba	Korba	Smt. Seema Chandrakar, JMFC, Korba
7.	Ambikapur	Ambikapur	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi, JMFC, Ambikapur.
8.	Jagdalpur	Jagdalpur	Shri Abhishek Sharma, JMFC, Jagdalpur

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 11-13/2017/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 5 वर्ष के लिए पंजीकृत करता है :—

क्र.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	डाक का पूरा पता	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	स्वीकृत क्षमता		प्रावधिक पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	एस.ओ.एस. चिल्ड्रन विलेज.	माना कैम्प रायपुर	रायपुर	बालगृह (बालक)	100	0	07/RPR/16-17
2.	एस.ओ.एस. चिल्ड्रन विलेज.	माना कैम्प रायपुर	रायपुर	बालगृह (बालिका)	0	100	08/RPR/16-17

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50 दिनांक 31-03-2017 के अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 17 जनवरी 2018 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 (2) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में निम्नानुसार अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति करता है :—

अध्यक्ष — श्रीमती प्रभा दुबे, रायपुर

सदस्य —

1. श्री अंकित ओझा, दुर्ग
2. श्री अरविंद कुमार जैन, कांकेर
3. श्री दिलीप कुमार कौशिक, बिलासपुर
4. श्रीमती इंदिरा जैन, रायपुर
5. श्रीमती मीनाक्षी तोमर, दुर्ग
6. सुश्री टी. आर. श्यामा, रायगढ़

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य उस रूप में उस तारीख से, जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें वे होंगी जो राज्य शासन द्वारा विहित की जाये. नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 तथा छत्तीसगढ़ बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2009 में उल्लेखित प्रावधानों के प्रकार में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 20-47/2013/11/(6).—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 में पैरा-5 में कंडिका 2.5.5 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये अर्थात् :—

"किन्तु ऐसे प्रकरणों में जिनमें भू-आवंटी इकाई द्वारा किसी औद्योगिक नीति के तहत अनुदान/छूट एवं रियायतें ली जाती है, उनमें ब्याज अनुदान/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के लिए निष्पादित अनुबंध अनुसार उद्योग चालू रखने की वर्णित अवधि, दोनो में से जो भी अधिक हो, व्यतीत हो चुकी हो, द्वारा शवलीकरण (मूल उत्पाद के साथ नवीन उत्पाद जोड़ने) या मूल-उत्पाद के स्थान पर नवीन उत्पाद प्रारंभ करने के फलस्वरूप पट्टाभिलेखों में संशोधन कराया जाता है, तो उसमें लीजडीड में संशोधन के प्रयोजन हेतु भू-भाटक का पुन: निर्धारण नहीं किया जावेगा, मात्र संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट चार्जेस एवं अन्य देय करों का पुन: निर्धारण संशोधन दिनांक को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रभावी प्रब्याजी की दरों के आधार पर सांकेतिक रूप से पुन: निर्धारण किया जावेगा.

किन्तु जिन प्रकरणों में उपरोक्तानुसार अपेक्षित अवधि समाप्त नहीं हुई है, उनमें लीजडीड संशोधन दिनांक पर प्रभावी भू-प्रब्याजी के आधार पर भू-भाटक, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट चार्जेस एवं अन्य देय करों का सांकेतिक पुन: निर्धारण कर संशोधन उपरांत नये दरें लागू होंगी.''

(दो) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 में पैरा-5 में कंडिका 3.5 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात :—

''परंतु, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमों को औद्योगिक प्रयोजन के लिये पट्टाभिलेख के आधार पर आवंटित भूमि में शिकमी/उपपट्टे की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर (भूमि बैंक) एवं औद्योगिक प्रयोजनों में संचालक उद्योग/प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी द्वारा प्रव्यवसायिक प्रयोजन के लिए निर्धारित वेयर हाउस, लॉजिस्टिक हब/कोल्ड स्टोरेज के लिए आवंटित भूमि पर पट्टाभिलेख द्वारा निर्मित किये गये वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज की भौतिक संरचना (भूखंड का भाग नहीं) का संपूर्ण भाग/आंशिक भाग को मासिक किराये पर किसी अन्य व्यक्ति/व्यवसायी/संस्था/कृषक/शासकीय संस्थाओं/निगमों/संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं/कम्पनियों/व्यवसायिक संस्थाओं आदि को दिए जाने की अनुमति होगी, किन्तु प्रथम किराएदार को पुन: किराये पर अन्य किराएदार को दिए जाने का अधिकार नहीं होगा. इस हेतु मूल पट्टाग्रहिता एवं मासिक किराये के आधार पर स्थान लेने वाले के मध्य निर्धारित प्रारूप में युज एवं पे आधार पर किराए हेतु किरायेदारी अधिनियम (Tenancy Act) के अनुरूप अनुबंध का निष्पादन किया जा सकेगा किन्तु ऐसी किरायेदारी की अवधि व्यक्ति/व्यवसायी/कृषक/व्यवसायिक संस्था को किराए पर देने के संदर्भ में उक्त किरायेदारी अधिनियम (Tenancy Act) में वर्णित अवधि से अधिक नहीं होगी, किन्तु भारत सरकार/राज्य शासन/राज्य शासन के निगम, संस्था/सहकारी संस्थाओं एवं सरकारी कंपनियों के मामले में यह अवधि 60 माह की हो सकती है. शासकीय अनुबंध का प्रारूप संचालक, उद्योग द्वारा पृथक से जारी किया जावेगा. ऐसी किरायेदारी की अनुमति संचालक उद्योग/प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी द्वारा उक्तानुसार व्यवसायिक प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि पर ही अनुमति योग्य होगी. संचालक/प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी को यह अधिकारी होगा कि वह इस प्रकार के मासिक किराया के प्रकरणों के संदर्भ में यथा आवश्यक अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकेगा.''

उपरोक्त प्रयोजन हेतु लीजडीड में भी एक कंडिका अंकित की जावेगी.''

(तीन) उक्त अधिसूचना के अध्याय-4 में पैरा-2 के उप पैरा-स की अनुक्रमांक-12 के कॉलम-5 में कॉलम-4 के अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

4	5
भूमि की प्रब्याजि	''लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों की न्यूनतम चार गुना अथवा नीलामी दर जो भी अधिक हो''
भू-भाटक	लघु उद्योगों हेतु निर्धारित दरों का न्यूनतम चार गुना
संधारण शुल्क	लघु उद्योग हेतु निर्धारित दरों का न्यूनतम चार गुना

शेष बिन्दु यथावत रहेंगे

(चार) उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 में पैरा-9 के कंडिका 2.9.1 के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये अर्थात :—

''परंतु, निर्धारित अवधि में भू-आशय पत्र में अंकित राशि का भुगतान प्राप्त न होने पर तथा भू-आशय पत्र वैधता अवधि समाप्त होने के पूर्व इकाई के आवेदन पर अधिकतम तीन माह की अवधि तक बढ़ायी जा सकेगी, किन्तु वृद्धि की जा रही अवधि के लिए मूल देय राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा.

आशयपत्र में वर्णित 90 प्रतिशत प्रब्याजी की राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर निवेशक द्वारा मांगपत्र के आधार पर जमा करायी गई 10 प्रतिशत प्रब्याजी राशि में से सूक्ष्म, लघु उद्यम के मामले में 10 प्रतिशत अग्रिम प्रब्याजि राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 50,000/- एवं मध्यम उद्यम मामले में 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 1,00,000/- तथा वृहद उद्यम के मामले में 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रु. 5,00,000/- राजसात करते हुए अग्रिम प्रब्याजि की शेष राशि निवेशक को वापस किये जाने योग्य होगी.''

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 6-8/2017/वा.कर/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री पंकज नायक, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-4 को वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में (वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 5400) में दिनांक 06-08-2017 से प्रोफार्मा पदोन्नत करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-9, रायपुर में पदस्थ करता है.

2. श्री पंकज नायक की वरिष्ठता विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06-08-2017 द्वारा पदोन्नत श्री दिलीप वर्मा के नीचे तथा श्री गोपाल सिंह कोरेटी के ऊपर निर्धारित की जाती है.

3. उपरोक्तानुसार प्रोफार्मा पदोन्नति में पदोन्नति के समान श्री पंकज नायक का वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर वेतन निर्धारण काल्पनिक आधार पर (Notional Pay Fixation) किया जाएगा, अर्थात् उन्हें वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति की तिथि से पद का वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक की अवधि के लिए "कार्य नहीं वेतन नहीं" (No Work No Pay) के अनुसार किसी प्रकार के वेतन एवं भत्तों की पात्रता नहीं होगी, किन्तु प्रोफार्मा पदोन्नति की अवधि में उन्हें वित्त विभाग के निर्देशों के तहत् वेतन वृद्धियों की पात्रता होंगी.

4. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 7-31/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सोनहत निवेश क्षेत्र जिला कोरिया का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

सोनहत निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम जामटीकरा, रजौली, पोंड़ी, अमहर, भुईहारीपारा, सोनहत, तेलीमुड़ा एवं बेलिया ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम बेलिया, तेलीमुड़ा, महुवापारा, केशगवां, कैलाशपुर, बोड़ार, घुघरा, मधला, कुशमहा, कटगोड़ी, काचरडांड, बशवाही एवं मधौरा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मधौरा, कटगोड़ी, कुशमहा, पुसला, कछार, बिरौरीडांड, केवराबहरा, चकडांड एवं भट्ठीपारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम भट्ठीपारा, रजौली, भैंसवार एवं जामटीकरा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 सहपठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 49 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम 49 देखिए)

स्वामिस्व की दरें

स. क्र. (1)	खनिज (2)	दरें (3)
1.	आकारीय पत्थर—ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय, परतदार तथा परिवर्तित चट्टाने, जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है :—	—
	(क) काला रंग	रुपये 2000 प्रति घनमीटर
	(ख) अन्य रंग	रुपये 750 प्रति घनमीटर
2.	संगमरमर, जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है.	रुपये 850 प्रति घनमीटर
3.	अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त संगमरमर पत्थर	रुपये 400 प्रति घनमीटर
4.	फ्लेगस्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर, जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिये किया जाता है.	रुपये 120 प्रति घनमीटर
5.	साधारण रेत, बजरी	रुपये 50 प्रति घनमीटर
6.	मुरूम	रुपये 50 प्रति घनमीटर
7.	पत्थर	
	(क) बोल्डर	रुपये 130 प्रति घनमीटर
	(ख) गिट्टी, रोड मेटल	
	(ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	
8.	साधारण मिट्टी : ईंट, बर्तन एवं कवेलू बनाने के लिए/निर्माण कार्य में व्यवसायिक उपयोग के लिए मिट्टी.	रुपये 50 प्रति घनमीटर

(1)	(2)	(3)
9.	(क) डोलोमाइट (उद्योगों में उपयोग हेतु) (ख) डोलोमाइट (सड़क एवं भवन निर्माण)	रुपये 90 प्रतिटन
10.	कोरण्डम	विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत
11.	सोपस्टोन	विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत
12.	फायरक्ले/चाईना क्ले/अन्य क्ले	विक्रय मूल्य का 15 प्रतिशत
13.	ऑकर	रुपये 30 प्रति टन
14.	लैटेराइट : धातुकर्म में उपयोग/अन्य उपयोग में	रुपये 60 प्रति टन
15.	क्वार्ट्ज	रुपये 90 प्रति टन
16.	क्वार्ट्जाइट	रुपये 140 प्रति टन
17.	सिलिका सेण्ड/अन्य बालू	रुपये 75 प्रति घनमीटर
18.	अन्य गौण खनिज	रुपये 60 प्रति घनमीटर"

2. अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"6 क	अनुसूची-एक के भाग-ख में विनिर्दिष्ट खनिजों.	निरंक	5,000	7,500"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

टीप :— छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-03-2015 में प्रकाशित किया गया था, जिसके हिन्दी पाठ में शुद्धिपत्र दिनांक 30-01-2016 जारी किया गया. अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 23-03-2016, 13-02-2017 तथा 12-04-2017 द्वारा संशोधित किया गया. मूल नियम को अंतिम बार अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26-10-2017 द्वारा संशोधित किया गया.

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-29/2012/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-29/2012/12, दिनांक 5 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 5th March 2018

No. F-7-29/2012/12.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) read with sub-rule (5) of rule 49 of the Chhattisgarh Minor Mineral

Rules, 2015, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the said rules with effect from 1st April, 2018, namely:i;s

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. For Schedule-III, the following shall be substituted, namely:i;s

"SCHEDULE-III
(See Rule 49)

Rates of Royalty

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Stone-Granite, dolerite, and other igneous, sedimentary and metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	
	(a) Black colour	Rs. 2000 per cubic metre
	(b) Other colour	Rs. 750 per cubic metre
2.	Marble, used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs, tiles of specific dimension.	Rs. 850 per cubic metre
3.	Marble stone used for other purposes	Rs. 400 per cubic metre
4.	Flagstone-natural sedimentary rock which is used for flooring, roof top etc.	Rs. 120 per cubic metre
5.	Ordinary Sand, bajri	Rs. 50 per cubic metre
6.	Murrum	Rs. 50 per cubic metre
7.	Stone (a) Boulder (b) Gitti, roadmetal (c) Dressed Stone, Khanda, Dhoka	Rs. 130 per cubic metre
8.	Ordinary Soil; Soil for making bricks, pots and tiles/soil for commercial used in construction works.	Rs. 50 per cubic metre
9.	(a) Dolomite (industrial use) (b) Dolomite (Road and building construction)	Rs. 90 per tonne
10.	corundum	15 percent of sale price
11.	Soapstone	20 percent of sale price
12.	Fire Clay/China Clay/Other Clay	15 percent of sale price
13.	Ochre	Rs. 30 per tonne
14.	Laterite : Metallurgical use/Other use	Rs. 60 per tonne

(1)	(2)	(3)
15.	Quartz	Rs. 90 per tonne
16.	Quartzite	Rs. 140 per tonne
17.	Silica sand and other sand	Rs. 75 per cubic metre
18.	Other Minor Minerals	Rs. 60 per cubic metre"

2. In Schedule-IV, after Serial No. 6, the following shall be inserted, namely, :i;s

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6A	Minerals specified in Part B of Schedule I	Nil	5,000	7,500"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Deputy Secretary.

Note :— The Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, were notified in the Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 27-3-2015, corrigendum dated 30.01.2016 issued for Hindi part of it. The Rules were further amended vide notification number F 6-42/2012/12, dated 23.3.2016, 13.2.2017 and dated 12.4.2017. The principal rules were lastly amended vide notification number F 6-42/2012/12, dated 26.10.2017.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2018

क्रमांक 262/549/2017/स्था./चार.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को वेतनमान 9300-34800+ग्रेड वेतन 4300 में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में अंकित तिथि से प्रथम उच्चतर वेतनमान 9300-34800+ग्रेड वेतन 4800 स्वीकृत करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में नियुक्ति दिनांक (3)	समयमान वेतनमान प्रदान करने की देयता तिथि (4)
1.	श्री व्यास चन्द्र अग्रवाल	09-08-2004	09-08-2014
2.	श्री राजेन्द्र कुमार साहू	04-04-2005	04-04-2015
3.	श्री के. आर. साहू	27-09-2005	27-09-2015
4.	श्री अवधेश वर्मा	31-03-2006	31-03-2016
5.	श्री अभय कुमार सिन्हा	13-12-2006	13-12-2016

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 16 फरवरी 2018

प्रारूप-1
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/39/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	महासमुंद	सिरपुर	0.56 हे.	पुरातत्व सम्पत्ति की सुरक्षा एवं उत्खनन हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक / /2018 को समय 11.00 से स्थान सिरपुर में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि भू-अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	पुरातत्व परिसम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा एवं उत्खनन हेतु.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 17750000.00
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यक्तियों को आजिविका रोजगार मिलेगा.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित समााजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद को पूर्व में राशि रु. 17750000.00 का भुगतान चेक क्रमांक 691560 दिनांक 29-03-2016 राशि रु. 8750000.00 एवं चेक क्रमांक 691561 दिनांक 29-03-2016 राशि रु. 9000000.00 के माध्यम से जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्रमांक/32/क/भू-अर्जन/02/अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	परसापाली प.ह.नं. 13	0.35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद, जिला-महासमुन्द (छ.ग.).	मुरईधोवा एनीकट योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्रमांक/33/क/भू-अर्जन/01/अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	पिथौरा प.ह.नं. 12	0.486	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद, जिला-महासमुन्द (छ.ग.).	मुरईधोवा एनीकट योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 फरवरी 2018

क्रमांक/34/क/भू-अर्जन/03/अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	भुरकोनी प.ह.नं. 24/27	0.97	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद, जिला-महासमुन्द (छ.ग.).	मचकानाला भुराकोनी एनीकट योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक 457/भू-अर्जन/02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	विजयपुर प.ह.नं. 01	0.557	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के दायीं तट नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 जनवरी 2018

क्रमांक 1258/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	जुराली प.ह.नं. 35	5.343	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.).	कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्रमांक 1429/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रा.गंज	राजपुर	अमड़ीपारा प.ह.नं. 30	7.717	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)	गागर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजपुर मुख्यालय के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्रमांक 2487/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नगझर, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1000/3	0.045
योग	1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगझर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक/916/अ-82/2014-2015/भू-अर्जन/कले./2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-रामानुजगंज
- (ग) नगर/ग्राम-चैनपुर, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-23.27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15	2.93
25	0.65
29	0.27
38	0.32
42	0.58
32/1	0.31
39	0.20
48	0.53
26	0.08
27/1	0.88
30	0.61
37	0.04
41	0.70
46	0.32
16	1.42
27/2	0.75
12	1.21
7	2.02

	(1)	(2)
	6	1.01
	8	0.56
	10	0.58
	44	0.69
	31/2	0.13
	32/2	0.90
	45	1.59
	31/1	1.89
	34	0.41
	43	0.85
	49	0.44
	50	0.40
योग	30	23.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टाटीआथर जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 6 फरवरी 2018

क्रमांक/1211/02/अ-82/2015-2016/भू-अर्जन/कले./2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-राजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.049 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
158/2	0.101
164/2	0.121
165/2	0.020
208/1	0.049
188/85	0.104
188/86	0.040
164/5	0.020
165/1	0.140
87	0.032
93/2	0.008
197/1	0.057
125	0.020
93/1	0.057
88	0.282
89	0.262
90/2	0.113
90/9	0.090
124	0.202
94	0.376
83/1	0.004
96/2	0.004
205	0.020
206	0.065
207	0.032
100/4	0.073
166/3	0.052
208/2	0.024
82/1	0.202
82/2	0.202
95/3	0.041
95/4	0.010
164/1	0.020
204/2	0.065
188/75	0.081
197/2	0.024
166/2	0.041
165/3	0.053
812/2	0.121
188/89	0.153
188/84	0.202
188/93	0.113
188/23	0.024
188/77	0.248

(1)	(2)
188/78	0.081
योग 44	4.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गेउर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 6 फरवरी 2018

क्रमांक/1212/03/अ-82/2015-2016/भू-अर्जन/कले./2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-राजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुरका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.305 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
666	0.020
681	0.081
735/2	0.061
726	0.056
740	0.056
572/66	0.121
757/2	0.020
708	0.041
658	0.040
652	0.208
759/3	0.148
663/1	0.020
756	0.256
659/3	0.081
703/2	0.125
705/2	0.040
707	0.016
727/2	0.056
706/2	0.069
714/1	0.162
742	0.117
659/1	0.086
670	0.024
729	0.049
853	0.020
731/1	0.056
731/2	0.076
728	0.052
572/38	0.113
572/62	0.121
668	0.101
678	0.081
679	0.080
653/1	0.121
680/1	0.064
682/1	0.202
659/2	0.086
572/32	0.089
725	0.162
759/1	0.148
669/1	0.020
699/1	0.021
704	0.020
657/2	0.020
682/2	0.060
713	0.081
703/1	0.121
705/1	0.040
727/1	0.056
706/1	0.069
990	0.184
665	0.056
663/3	0.032
योग 53	4.305

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गेउर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्रमांक/1461/01/अ-82/2015-16/भू-अर्जन/कले./2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-राजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ओकरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.537 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	292/1	0.072
	248/2	0.128
	248/1	0.129
	248/3	0.129
	292/2	0.008
	246	0.008
	269	0.186
	270	0.251
	281	0.152
	273	0.202
	293/3	0.121
	293/2	0.041
	294	0.073
	307	0.257
	259	0.281
	260	0.089
	250/1	0.121
	250/2	0.081
	258/1	0.145
	258/2	0.097
	258/3	0.024
	247/2	0.133
	247/1	0.044
	308/2	0.040
	310/1	0.032
	311/1	0.081
	310/2	0.036
	311/2	0.024
	312/1	0.101
	314/1	0.040
	312/2	0.101
	314/2	0.032
	180/1	0.061
	316/1	0.044
	316/2	0.044
	180/2	0.061
	271/1	0.024
	268/2	0.024
	271/2	0.020
योग	39	3.537

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गेउर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक 198/नग्रानि/वि.यो.-बेरला.—संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग की अधिसूचना क्रमांक 3923 दिनांक 14-06-2017 जो कि ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' (साधारण) भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 1507-1508 में दिनांक 15-09-2017 को मुद्रित हुई है, में लिपिकीय त्रुटिवश ''आयुक्त सह-संचालक'', अंकित हो गया है, के स्थान पर ''संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग'' पढ़ा जावे एवं इसी प्रकार अनुसूची की पूर्वी सीमा में ग्राम ''कुसमी'' के पश्चात् ग्राम ''बहेरा'' एवं पश्चिमी सीमा में ग्राम ''बोरिया'' के पश्चात् ग्राम ''बेरला'' पढ़ा जावे.

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक 200/नग्रानि/वि.यो.-मारो.—संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग की अधिसूचना क्रमांक 3911 दिनांक 24-06-2017 जो कि "छत्तीसगढ़ राजपत्र" (साधारण) भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 1537-1538 में दिनांक 22-09-2017 को मुद्रित हुई है, में लिपिकीय त्रुटिवश "संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश" अंकित हो गया है, के स्थान पर "संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग" पढ़ा जावे एवं इसी प्रकार अंग्रेजी की अनुसूची के उत्तरी सीमा में ग्राम "Lalpur" के पश्चात् "Maro" पढ़ा जावे.

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक 202/नग्रानि/वि.यो./देवकर.—संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग की अधिसूचना क्रमांक 3894 दिनांक 22-06-2017 जो कि "छत्तीसगढ़ राजपत्र" (साधारण) भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 1152 में दिनांक 14-07-2017 को मुद्रित हुई है, में लिपिकीय त्रुटिवश "संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश" अंकित हो गया है, के स्थान पर "संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग" पढ़ा जावे एवं इसी प्रकार अनुसूची में ग्राम "पचेड़ी" एवं "डेहरी" के स्थान पर "बचेड़ी" एवं "डेहेरी" पढ़ा जावे.

दुर्ग, दिनांक 18 जनवरी 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक 204/नग्रानि/वि.यो. साजा.—संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग की अधिसूचना क्रमांक 4363 दिनांक 23-06-2017 जो कि "छत्तीसगढ़ राजपत्र" (साधारण) भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 1188-1189 में दिनांक 21-07-2017 को मुद्रित हुई है, में लिपिकीय त्रुटिवश "संचालक" अंकित हो गया है, के स्थान पर "संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग" पढ़ा जावे.

संदीप बांगड़े,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 3 फरवरी 2018

क्रमांक/1987/वि.लि.प्र./2018.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4 के नियम-8 के एवं छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 के तहत दुर्ग जिले हेतु कलेण्डर वर्ष 2018 के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :—

क्रमांक (1)	अवकाश का विवरण (2)	दिन (3)	दिनांक (4)
1.	गणेश चतुर्थी	गुरूवार	13-09-2018
2.	दशहरा (महानवमी)	गुरूवार	18-10-2018
3.	दिपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)	गुरूवार	08-11-2018

यह अवकाश कोषालय/उप कोषालय एवं बैंको के लिए लागू नहीं होगा.

हस्ता./-
डिप्टी कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th January, 2018

No. 543/Checker/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of the Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Maigstrate Second Class (2)	Present Place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Ku. Manjusha Toppo, J.M.S.C., Janjgir	Janjgir	Janjgir-Champa
2.	Shri Lokesh Patle, J.M.S.C., Janjgir,	Janjgir	
3.	Ku. Namrata Norge, J.M.S.C., Jagdalpur,	Jagdalpur	Bastar. at Jagdalpur
4.	Ku. Swarnlata Rajmani, J.M.S.C., Jagdalpur,	Jagdalpur	
5.	Ku. Kamini Jaiswal, J.M.S.C., Jagdalpur,	Jagdalpur	
6.	Smt. Sheelu Kesary, J.M.S.C., Jagdalpur,	Jagdalpur	
7.	Smt. Deepti Barwa, J.M.S.C., Jagdalpur,	Jagdalpur	
8.	Ku. Bharti Kuldeep, J.M.S.C., Dhamtari,	Dhamtari	Dhamtari
9.	Shri Anup Tigga, J.M.S.C., Durg,	Durg	Durg
10.	Shri Sachin Paul Toppo, J.M.S.C. Durg,	Durg	
11.	Ku. Sheetal Nikunj, J.M.S.C., Durg,	Durg	
12.	Shri Shankar Kashyap, J.M.S.C. Durg,	Durg	
13.	Ku. Amba Shah, J.M.S.C., Bemetara,	Bemetara	Bemetara
14.	Ku. Smita Shrivastava, J.M.S.C. Ambikapur,	Ambikapur	Surguja at Ambikapur
15.	Ku. Aditi Thakur, J.M.S.C., Ambikapur,	Ambikapur	
16.	Shri Anshul Verma, J.M.S.C., Raigarh,	Raigarh	Raigarh
17.	Ku. Savita Singh, J.M.S.C., Balod.	Balod	Balod

Bilaspur, the 19th January, 2018

No. 545/Checker/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by

specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Maigstrate first Class (2)	Present Place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Smt. Shanti Prabhu Jain, J.M.F.C., Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon
2.	Shri Ramesh Kumar Chauhan, J.M.F.C., Rajnandgaon	Rajnandgaon	
3.	Shri Girish Pal Singh, J.M.F.C., Dongargarh.	Dongargarh	
4.	Ku. Suman Dhruv, J.M.F.C., Chhuikhadan	Chhuikhadan	
5.	Ku. Seema Kanwar, J.M.F.C., Raigarh	Raigarh	Raigarh
6.	Ku. Sweta Baghel, J.M.F.C., Raigarh	Raigarh	
7.	Ku. Savita Singh, J.M.S.C., Balod	Balod	Balod

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्रमांक 571/चेकर/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद् द्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बगीचा अपने घोषित कार्य स्थल बगीचा के अतिरिक्त पत्थलगांव में भी आगामी आदेश तक माह में दो सप्ताह बैठक करेंगे.

No. 571/Checker/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Civil Judge Class-II, Bagicha in addition to his place of sitting at Bagicha declared shall also sit at Pathalgaon for 2 weeks in a month until further orders.

बिलासपुर, दिनांक 22 फरवरी 2018

क्रमांक 573/चेकर/तीन-10-11/2000.—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद् द्वारा निर्देशित करता है कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कोरबा न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कोरबा अपने घोषित कार्य स्थल कोरबा के अतिरिक्त करतला में भी आगामी आदेश तक माह में एक सप्ताह बैठक करेंगे.

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10265/तीन-10-11/2000 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 जहां तक उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2/न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, करतला की श्रृंखला न्यायालय कोरबा से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. 573/Checker/III-10-11/2000.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby directs that the Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Korba in additional to his place of sitting at Korba declared shall also sit at Kartala for a week in a month until further orders.

The notification no. 10265/III-10-11/2000 dated 23rd December, 2016 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far it relates to holding Link court of the Civil Judge Class-II/Judicial Magistrate First Class, Kartala at Korba is hereby cancelled.

Bilaspur, the 23rd January, 2018

No. 702/Checker/III-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon (1) Smt. Shivani singh, J.M.S.C., Bilaspur, (2) Shri Umesh Kumar Bhagwatkar, J.M.S.C., Bilaspur, (3) Shri Avinash Toppo, J.M.S.C., Bilaspur & (4) Ku. Akansha Rathore, J.M.S.C., Bilaspur.

By order of the hon'ble High Court,
GAUTAM CHOURDIYA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्रमांक 15/दो-2-29/2007.—श्री सुरेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

क्रमांक 16/दो-3-38/2007.—श्री राम कुमार तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-11-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, बजट अधिकारी.

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्रमांक 50/दो-2-18/2016.—श्री संतोष कुमार तिवारी, अतिरिक्त निदेशक-II, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 15-01-2018 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2015 से 31-10-2017 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
रामायण प्रसाद देवांगन, लेखाधिकारी.